न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2018/00033 दायर दिनांक 12.04.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू –सायल–

बनाम

परवीन कुमार पुत्र रोशन लाल मैसर्स क्वालिटी चिलिंग सेन्टर, हनुमानगढ़ रोड़ सरदारशहर जिला चूरू। –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रुल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 25.08.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मैं मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकापित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतिया न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.07.2017 को 12.40 पी. एम. मैसर्स क्वालिटी चिलिंग सेन्टर, हनुमानगढ़ रोड सरदारशहर पर पहुंचा। वहां पर परवीन कुमार मैसर्स क्वालिटी चिलिंग सेन्टर पर सायलो टेक में लगभग 5000 लीटर दुध विक्रय हेतु ठंडा कर रहा था। मैंने अपना परिचय दिया एव परिचय पत्र दिखाया श्री परवीन कुमार से पुछने पर बताया कि में दुध बेचने का कार्य करता हूँ। मैंने एक सायलो टैंक में उपलब्ध दुध की किस्म पूछने पर विक्रेता ने बताया कि इसमें गाय का दुध है।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया की एक सायलो टेक में 5000 लीटर गाय दुध था इस गाय के दुध में मिलावट का शंका होने पर उसमें से गाय के दुध को हिलाकर मिलाकर एक रूप करके एक साफ सुखी खाली स्टील के बर्तन में 2 लीटर गाय का दुध को जा नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री परवीन कुमार को 52 /– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री नागर मल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतिया तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता परवीन कुमार को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की प्राप्ति न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गाय का दुध को मिलाकर एक रूप कर विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा गाय का दुध को प्रत्येक प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टिक की बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन श्री 40–40 बूंदे डालकर प्लास्टिक की बोतलों को ढकन्न लगाकर ऐयस्टाईड बन्द किया तथा लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूनें की प्लास्टिक की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं का एल–1633 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण दुध की किस्म, दिनांक नमूना लेने का स्थान परिरक्षक की मात्रा अंकित कि लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनों सीराओ को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1633 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बाधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने एवं भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आयें एवं खाखी पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, दिनांक खाद्य पदार्थ की किस्म परीरक्षक की मात्रा अंकित कि गई एवं मैने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं मैने हस्ताक्षर किये।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर नमूनें के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया एवं नमूने पर भागों पर मुख्य खाद्य विषलेश्क राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना खाद्य पदार्थ की किस्म संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दी भाग फार्म न. 6 की दो प्रतियों के साथ आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनों का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेसन पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/1199 दिनांक 18.08.2017 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विषलेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट सख्या एम. एस /1708/एक्ट/2017/1779 दिनांक 10.08.2017 प्राप्त हुई जिसमे विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांचरू विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2018 / 73 दिनांक 04.04.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
9. यह कि उक्त प्रकरण में परवीन कुमार ने अमानक गाय का दुध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश राजपाल ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.08.2019 को जवाब प्रस्तुत किया। खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ़ के बयान गवाह दिनांक 02.05.2022 को करवाये गये। प्रकरण में गैरसायल अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपस्थित रहे इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **गाय का दुध** **सबस्टैण्डर्ड**, का सेम्पल नं. एल–1633 रिपोर्ट संख्या एल.एस./1708/एक्ट/2017/1779 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** पाया गया है जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाध सुरक्षा अधिकारी रतनगढ को सुना गया। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **गाय का दुध** **सबस्टैण्डर्ड** की रिपोर्ट संख्या एल. एस./1708/एक्ट/2017/1779 दिनांक 10.08.2017 से सबस्टैण्डर्ड (Under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006 due

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

to low contens of Milk solids not fat) होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ <u>गाय का दुध सबस्टैण्डर्ड</u>, बेचने के कारण एंव उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल परवीन कुमार पुत्र रोशन लाल मैसर्स क्वालिटी चिलिंग सेन्टर, हनुमानगढ़ रोड़ सरदारशहर जिला चूरू को 4,00,000/– रूपये (चार लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान् को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियाँ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाध सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू